न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 169/2024 **दायर दिनांकः 20.12.2024**

उनवान

रोडूलाल शर्मा पि. नाथूलाल शर्मा जाति गरूडिया ब्राहमण नि. सेमला तहसील सुनेल

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषकगण :—

अभिभाषक प्रार्थी — श्री विनोद जैन

अप्राथी :— पैरोकार सरकार

आदेश दिनांक : 20.06.2025

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थी के खाते कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 417 खसरा नं. 1150/1046 रकबा 0.8094 है० वाके ग्राम सेमला तह० सुनेल में स्थित है। नकल जमाबंदी 2073—2076 तक संलग्न है। यह कि उपरोक्त आराजियात सदेव से प्रार्थी के कब्जे काश्त में चली आ रही है किंतु राजस्व राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी खातेदार का नाम रोडू आ० नाथू जाति गरुड़िया निवासी सेमला तह० सुनेल दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थी का सही नाम रोडूलाल शर्मा आ० नाथूलाल जाति गरुड़िया ब्राह्मण निवासी सेमला तह० सुनेल जिला झालावाड़ राज. है। यह कि प्रार्थी के आधार कार्ड, पेनकार्ड, राशनकार्ड व अन्य दस्तावेजों में भी रोडूलाल शर्मा आ० नाथूलाल दर्ज है। यह कि उक्त गलती सहवन से राजस्व कर्मचारियों द्वारा हो गई है। इसलिए प्रार्थी का नाम गलत हो गया है। यह कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से उचित न्यायशुल्क पर माननीय न्यायालय में पेश है। प्रार्थना पत्र पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.26 16:42:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सेमला तह० सुनेल के खाता संख्या 417 खसरा नं. 1150/1046 रकबा 0.8094 है० आराजी में खातेदार का नाम रोड़ू आ० नाथू जाति गरुड़िया तह० सुनेल के स्थान पर रोड़ूलाल शर्मा आ० नाथूलाल जाति गरुड़िया ब्राह्मण निवासी सेमला तह० सुनेल जिला झालावाड़ राज शुद्ध किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार सुनेल द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र क. भू.अ./2025/176 दिनांक 06.03.2025 को पेश किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पेश जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि बिन्दु सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड सही एवं स्वीकार योग्य है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड वादी का नाम रोड़ू पुत्र नाथू जाति गरुडिया नि. रोमला दर्ज है जबकि मुताबिक ग्रामवासियान की जानकारी वादी का सही एवं शुद्ध नाम रोडूलाल पुत्र श्री नाथूलाल जाति गरूडिया ब्राह्मण नि. सेमला के नाम से जाना जाता है। वादी स्वयं माननीय न्यायालय में उपस्थित होकर दस्तावेज प्रस्तुत कर सत्यापित करें। मुताबिक ग्राम सेमला के नामान्तकरण सं. 286 के अनुसार वादी का नाम वर्तमान रिकॉर्ड के अनुसार है।. माननीय न्यायालय से संबंधित है। अतः चाहा गया जबाव दावा श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

3. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम सेमला की जमाबंदी सं. 2073–76 के खाता सं. 417 की नकल एवं खसरा गिरदावरी नकल किता 2 दिनांक 24.10.2024, ग्राम पंचायत सेमला का प्रमाण पत्र कमांक एसपी–1 दिनांक 07.11.2024 पेश किया।

4. अप्रार्थी पेरोकार सरकार की ओर से पटवारी हल्का सेमला की रिपोर्ट, ग्राम सेमला का नामा.सं. 285, रोड़ूलाल का आधारकार्ड (451229006653), ग्राम सेमला की जमाबंदी सं. 2073–76 के खाता सं. 417 की नकल पेश की।

5. अभिभाषक प्रार्थी एवं पैराकार सरकार की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.26 15:42:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

कथन किया कि ग्राम सेमला तहसील सुनेल के खाता संख्या 417 खसरा नं. 1150/1046 रकबा 0.8094 है० भूमि में प्रार्थी का गलत नाम रोडू पि. नाथू जाति गरूडिया नि. सेमला दर्ज चला आ रहा है जो गलत दर्ज हो रहा है जबकि प्रार्थी का सही नाम रोडूलाल शर्मा पि. नाथूलाल शर्मा जाति गरूडिया ब्राहमण नि. सेमला है। प्रार्थी के आधारकार्ड (451229006653) में प्रार्थी का सही नाम रोडूलाल शर्मा पि. नाथूलाल शर्मा जाति गरूडिया ब्राहमण नि. सेमला दर्ज है जो सही है। इसलिए ग्राम सेमला तहसील सुनेल के खाता संख्या 417 खसरा नं. 1150/1046 रकबा 0.8094 है० भूमि में प्रार्थी का नाम रोडू पि. नाथू जाति गरूडिया के स्थान पर रोडूलाल शर्मा पि. नाथूलाल शर्मा जाति गरूडिया ब्राहमण दर्ज किया जाना आवश्यक है।

6. अभिभाषक प्रार्थी ने आगे तर्क किया कि कार्यालय ग्राम पंचायत सेमला पंचायत समिति पिडावा द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 07.11.2024 में रोडू पि. नाथू जाति गरूडिया नि. सेमला एवं रोडूलाल शर्मा पि. नाथूलाल शर्मा जाति गरूडिया ब्राहमण दोनो को एक ही व्यक्ति बताया है। ग्राम सेमला की जमाबंदी खाता सं. 417 में प्रार्थी के नाम का गलत अंकन होने से प्रार्थी को अपनी आराजी का विकास करने, ऋण लेने एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओ का लाभ प्राप्त करने में भारी परेशानियों को सामना करना पड रहा है। अतः उक्त त्रुटी को शुद्ध किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने की कृपा करें।

7. पैरोकार सरकार द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 06.03.2025 के बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सेमला तहसील सुनेल के खाता संख्या 417 खसरा नं. 1150/1046 रकबा 0.8094 है० भूमि में प्रार्थी का नाम रोडू पि. नाथू जाति गरूडिया नि. सेमला दर्ज है। **उक्त भूमि प्रार्थी को अनुसूचित जाति गरूडिया के रूप में ही सरकार द्वारा आवंटित की गई थी।** ग्राम सेमला के नामा.सं. 285 गै[illegible]नामान्तरण में भी उक्त नाम दर्ज हैं। प्रार्थी के आ[illegible] में प्रार्थी का सही नाम रोडूलाल शर्मा पि. नाथूल[illegible] नि. सेमला दर्ज है। पेरोकार सरकार द्वारा आगे तर्क कि[illegible] गया कि **राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की जाति गरूडिया अंकित है जो राज्य सरकार के**

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.26 16:42:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अनुसूचित जाति की सूची में आते है जबकि राजस्थान सरकार में शर्मा/ब्राहमण सामान्य वर्ग में आता है। राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की किसी भी वर्ग की सूची में गरूडिया ब्राहमण शब्द नहीं है। अतः प्रार्थी की जाति गरूडिया से गरूडिया ब्राहमण किया जाना उचित नहीं है।

8. अभिभाषक प्रार्थी एवं पैराकार सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम सेमला के खाता संख्या 417 खसरा नं. 1150/1046 रकबा 0.8094 है० की जमाबंदी सं. 2073–76 के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी का नाम रोडू पि. नाथू जाति गरूडिया सा.गांव दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा पेश ग्राम सेमला के नामा.सं. 285 के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी को उक्त भूमि आवंटित हुई थी और जिसका गैर खातेदारी से खातेदारी का नामा.सं. 285 दर्ज होकर नायब तहसीलदार सुनेल द्वारा तस्दीक किया गया। उक्त नामान्तरण में भी प्रार्थी का नाम रोडू पि. नाथू जाति गरूडिया सा.गांव दर्ज है। अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि राजस्व रिकार्ड में उसका गांव का बोलचाल का नाम रोडू पि. नाथू का अंकन किया है जबकि प्रार्थी का सही नाम रोडूलाल पि. नाथूलाल हैं। रोडू और रोडूलाल स्थानीय भाषा के शब्दो की ही अंतर मात्र है। इसी प्रकार नाथू एवं नाथूलाल में भी स्थानीय भाषा के शब्दो के प्रयोग का ही अंतर मात्र है। ग्राम पंचायत सेमला के प्रमाण पत्र कमांक एसपी–1 दिनांक 07.11.2024 एवं ग्रामवासियों से प्राप्त जानकारी अनुसार रोडू पि. नाथू जाति गरूडिया नि. सेमला एवं रोडूलाल शर्मा पि. नाथूलाल शर्मा जाति गरूडिया ब्राहमण दोनो को एक ही व्यक्ति बताया है। प्रार्थी के आधारकार्ड (451229006653) में प्रार्थी का सही नाम रोडूलाल शर्मा पि. नाथूलाल शर्मा जाति गरूडिया ब्राहमण नि. सेमला दर्ज है। <u>न्यायालय द्वारा चाहे जाने पर भी प्रार्थी द्वारा जाति प्रमाण पत्र पेश नहीं किया गया है। पत्रावली पर कोई भी ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि प्रार्थी की जाति गरूडिया नहीं होकर गरूडिया ब्राहमण शर्मा है।</u> अतः राजस्व रिकार्ड में खातेदार के नाम के अंकन में बोलचाल व स्थानीय भाषा के कारण हुई त्रुटी को उभयपक्षकार की सहमति से धारा 136 एलआरएक्ट के अधीन दुरूस्त किया जाना न्यायोचित होगा जबकि प्रार्थी की जाति में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.26 16:42:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

संशोधन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सूची और अन्य दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में साबित नहीं होने से दुरूस्त किये जाने योग्य नहीं है।

9. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम सेमला के खाता संख्या 417 खसरा नं. 1150/1046 रकबा 0.8094 है० कृषि भूमि के संबंध में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट न्यायहित में आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विष्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 बावत दुरस्ती इन्द्राज न्यायहित में आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ग्राम सेमला के खाता संख्या 417 खसरा नं. 1150/1046 रकबा 0.8094 है० की कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम रोडू पि. नाथू के स्थान पर रोडूलाल पि. नाथूलाल जाति गरूडिया नि. सेमला दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी की जाति में कोई संशोधन नहीं किया जावे। तहसीलदार सुनेल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करे।

यह निर्णय आज दिनांक 20.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी, पिडावा
जिला झालावाड राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.26 15:42:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner